न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 151 / 2025

तारीख रजू:– 16.7.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. मथुरालाल पुत्र किशन
2. गोविन्द पुत्र किशन
3. रामसिंह पुत्र बिजेन्द्र
4. गुलाबसिंह पुत्र बिजेन्द्र
5. डालचन्द पुत्र बिजेन्द्र
6. रामादेवी पत्नी बिजेन्द्र
7. अमरसिंह पुत्र गुटेरी
8. भगतसिंह पुत्र गुटेरी
9. ललिता देवी पत्नी भूपसिंह
10. तनुज पुत्र भूपसिंह
11. राहुल पुत्र भूपसिंह
12. मधु पुत्री भूपसिंह
13. अंजलि पुत्री भूपसिंह

समस्त जाति धाकड, निवासी हिण्डौन जिला करौली (राज०), जरिये मुख्त्यारखास देवीसिंह धाकड पुत्र मेघराम, निवासी सिरस, तहसील वैर, जिला भरतपुर राजस्थान

समस्त जातियान धाकड़, निवासी धाकडपोठा, हिण्डौनसिटी, जिला करौली जरिये मुख्त्यारखास संतोष कुमार गोयल पुत्र राधेश्याम गोयल निवासी हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान ——— सायलान

बनाम

1. गुड्डी पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राजीव कॉलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राज०)
2. नगमा पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमौहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राजीव कॉलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राज०)
3. नजमा बानो पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमौहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राजीव कॉलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राज०)
4. सलमा पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राजीव कॉलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राज०)
5. सलीम खान पुत्र माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राजीव कॉलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राज०)
6. सवाना पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमौहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राजीव कॉलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

7. विष्णु कुमार पुत्र मंगती, जाति ब्राह्मण, निवासी नईमण्डी हिण्डौन जिला करौली
8. तहसीलदार, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली (राज०)
9. सब रजिस्ट्रार, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०) ——— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट सायलान
2. श्री संतोष कुमार मुद्गल गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा बावत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 656 रकवा 11 बिस्वा, 649 रकवा 07 बीघा 05 बिस्वा, 655 रकवा 11 बिस्वा, 651 रकवा 09 बीघा 15 बिस्वा, 652 रकवा 05 बिस्वा स्थित कस्बा हिण्डौन रही है। जो साबिक में वशीर पुत्र नजीर, जाति मुसलमान, निवासी हिण्डौन की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी रही है, जिसे वशीर पुत्र नजीर द्वारा जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 30.05.1960 को सायलान के बुजुर्गान किशन व उसके भाई गुटेरी आदि को मुवलिग 2,000/– रुपये में विक्रय कर दिया और इस सम्बंध में एक वयनामा सच्चिदानन्द पण्डा डीडराईटर से क्रेतागण के हक में तहरीर व तकमील कराकर उसे सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां पंजीबद्ध करा व उक्त विक्रित आराजी पर क्रेतागण का कब्जा मौके पर करा दिया। तभी से सायलान के बुजुर्गान व अन्य क्रेतागण उक्त खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त आराजी पर गैरसायल नम्बर 01 ता 06 या उनके बुजुर्गान का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और इस प्रकार उक्त आराजी सायलान के बुजुर्ग द्वारा खरीदशुदा उनके स्वामित्व व स्वत्व की आराजी रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि दौराने सैटलमेंट आराजी साबिक खसरा नम्बर 656 रकवा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1183 रकवा 06 ऐयर, 1188 रकवा 04 ऐयर व 1183/9797 रकवा 03 ऐयर, कुल किता 03 कुल रकवा 13 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन कायम किये। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 1183/9797 साबिक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर 656 रकवा 11 बिस्वा से कायम किया गया है, जो वशीर के द्वारा दिनांक 30.05.1960 को ही सायलान के बुजुर्ग किशन व गुटेरी आदि को विक्रय किया जाकर उसका वयनामा पंजीबद्ध कराकर भूमि पर क्रेतागण का कब्जा करा दिया गया, जिससे वशीर का कोई वास्ता योम वयनामे से किसी प्रकार का नहीं रहा, इस प्रकार उक्त आराजीयात सायलान के बुजुर्गान की खरीदशुदा आराजीयात रही है, जिससे गैरसायल नम्बर 01 ता 07 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वशीर पुत्र नजीर अपने जीवनकाल में उक्त हाल खसरा नम्बर 1183/9797 के साबिक नम्बर 656 रकवा 11 बिस्वा सम्पूर्ण का जरिये पंजीकृत वयनामा सायलान के बुजुर्ग गुटेरी आदि को विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर सायलान के बुजुर्ग व अन्य क्रेतागण का कब्जा करा चुका था, इस प्रकार उक्त विक्रित आराजी में वशीर का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं रहा तथा उक्त आराजी के विक्रय के पश्चात वशीर अपने भाई मौहम्मद के पास पाकिस्तान चला गया और वहीं उसका इंतकाल हो गया तथा वशीर पुत्र नजीर का कोई वारिस नहीं था, इसीलिए उसने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण आराजीयात का विक्रय कर दिया था, इस प्रकार उक्त आराजी के विक्रय के पश्चात क्रेतागण भूमि पर काबिज व दखील रहे तथा सायलान के बुजुर्ग अर्थात क्रेतागण के फौत हो जाने पर सायलान उक्त आराजी पर काबिज व दखील हैं, जिससे गैरसायलान या अन्य कोई व्यक्ति का कोई सम्बंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि सायलान के बुजुर्ग किशन व अन्य क्रेतागण गुटेरी आदि कानून में नहीं समझते थे, इस कारण से उक्त खरीदशुदा आराजी का उनके हक में नामांतकरण नहीं खुला और भूमि साबिक खसरा नम्बर 656 रकवा 11 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 1183/9797 रकवा 03 ऐयर का इन्द्राज सायलान के बुजर्ग व अन्य क्रेतागण के नाम उसकी खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी और भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वशीर के नाम दर्ज रही, मगर उक्त आराजी से वशीर या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा। उक्त राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज का गैरसायल नम्बर 01 लगायत 06 व उनके परिवारजन ने नाजायज फायदा उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों से साज कर वशीर की विक्रयशुदा उक्त आराजी को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने की गरज से आपस में साज कर सायलान के हिस्से की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से उक्त भूमि का नामांतकरण नम्बरी 7831 तारीखी 20.12.2024 को अपने नाम खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1183/9797 रकवा 03 ऐयर की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली और यह जानते हुए कि हिफजुर्ररहमान का इंतकाल दिनांक 26.10.2014 को हो चुका है मगर गैरसायल नम्बर 01 ता 06 ने अपने परिवारजन से साज कर उसे जीवित बताते हुए और फर्जी तरीके से उसे मरहूम वशीर का वारिस बताते हुए उक्त नामांतकरण बसाज राजस्व कर्मचारियों व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल नम्बर 08 से अपने हक में खुलवा कर खातेदारी दर्ज करा ली, जो वमुकाबले सायलान स्वमेव ही नल एण्ड वोइड है, क्योंकि उक्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत वयनामा वशीर अपने जीवनकाल में वर्ष 1960 में ही सायलान के बुजुर्ग व अन्य क्रेतागण के हक में कर चुका है, इसलिए सायलान उक्त भूमि से गैरसायलान की खातेदारी को हजफ कराने व अपने नाम उक्त आराजी की खातेदारी दर्ज कराने के कानूनी अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि सायलान को उक्त विधि विरुद्ध नामांतकरण नम्बरी 7831 की जानकारी होने पर सायलान ने उक्त नामांतकरण की अपील सक्षम न्यायालय ए०डी०एम० साहब करौली के यहां दायर कर दी जो विचाराधीन है, मगर गैरसायल नम्बर 01 ता 06 के अन्य परिवारजन ने यह जानते हुए कि उनके द्वारा षडयन्त्रपूर्वक उक्त आराजी को हड़पने की गरज से राजस्व कर्मचारियों से साज कर विधि विरुद्ध रूप से जो नामांतकरण खुलवाकर अपने नाम खातेदारी कराई है वह अपील के दौरान समाप्त हो जावेगी, उक्त स्थिति के डर से गैरसायल नम्बर 01 ता 06 के परिवारजन द्वारा गैरसायल नम्बर 07 को कुछ भूमि का खिलाफ कानून बेचान किया गया है, वह भी वमुकाबले सायलान नल एण्ड वोइड है, क्योंकि उक्त आराजी के मूल खातेदार द्वारा पूर्व में ही सायलान के बुजुर्ग किशन व अन्य क्रेतागण के हक में उक्त खसरा नम्बर 1183/9797 रकवा 03 ऐयर के साबिक खसरा नम्बर 656 रकवा 11 बिस्वा का वर्ष 1960 में ही जरिये पंजीकृत वयनामा बेचान किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में कानूनन एक ही भूमि के दो वयनामे नहीं किये जा सकते तथा मुताबिक कानून पूर्व का वयनामा स्टैण्ड करता है, न कि बाद का। इसलिए भी गैरसायल नम्बर 01 ता 06 के परिवारजन द्वारा गैरसायल नम्बर 07 के हक में कराया गया वयनामा खिलाफ कानून व विधि विरुद्ध होने से नल एण्ड वोइड घोषित किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि सायलान ने उक्त भूमि के सम्बंध में व अन्य सम्पत्ति के सम्बंध में देवीसिंह व संतोष कुमार गोयल को अपना मुख्त्यारखास बना रखा है और उक्त भूमि के सम्बंध में समस्त कार्य करने व कानूनी कार्यवाही करने व भूमि की देखभाल आदि करने के समस्त अधिकार जरिये मुख्त्यारनामा खास देवीसिंह व संतोष कुमार गोयल को दे रखे हैं, इसलिए उनके द्वारा मुताबिक कानून उक्त दावा हाजा पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 13.07.2025 को समय करीब सुबह 9 बजे का है कि सायलान का मुख्त्यारखास उक्त आराजी की देखभाल कर रहा था कि मौके पर गैरसायल नम्बर 01 ता 07 अपने हमराहियों के साथ मौके पर आए और कहा कि इस जमीन पर हम पत्थर डालकर निर्माण करेंगे और इसकी खातेदारी हमारे नाम है तो सायलान के मुख्त्यारखास ने कहा कि इस जमीन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, यह तो वर्ष 1960 में वशीर के द्वारा विक्रय कर दी है, तुमने गलत नामांतकरण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खुलवाकर भूमि अपने नाम करायी है और उसकी अपील न्यायालय ए०डी०एम० साहब करौली के यहां विचाराधीन है तो इतने में ही गैरसायलान आग बबूला हो गये और कहा कि इस जमीन में हम खण्डे डलवाकर निर्माण करके ही रहेंगे, हमारे तो लट्ठ में जोर है, भूमि को कृषि से अकृषि में बदल देंगे, तुमसे बने सो कर लेना, भूमि से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लेंगे, भूमि को दीगर लठैत लोगों को बेचान कर खुर्दबुर्द करने की धमकी दी व कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सायलान के मुख्त्यारखास ने गैरसायलान से अपने नाम हुई खातेदारी को हजफ कराकर सायलान के नाम कराने के लिए कहा तो वे इन्कार हो गये और सायलान के मुख्त्यारखास के समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए, इसलिए प्रार्थना पत्र दायर करना आवश्यक हुआ। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार दृव्य से संभव नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केसए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैंसला दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 1183/9797 रकवा 03 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन से सायलान को उनके कब्जेकाश्त से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा कर कोई निर्माण नहीं करें तथा उक्त आराजी को दीगर लठैत व बदमाश किस्म के लोगों को रहनवय कर उसका वयनामा गैरसायल नम्बर 09 के कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं करावें और ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें जिससे सायलान के उक्त भूमि के कब्जे व हकहकूकों व विधिक अधिकारों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे। सायलान के उक्त भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं0 1 लगायत 7 की ओर से श्री सन्तोष कुमार मुद्गल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा जबाव प्रार्थाना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 1 में उक्त उनवान का दावा माननीय न्यायालय में पेश करना स्वीकार है, किन्तु उक्त दावा अत्यन्त कमजोर आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की दूर–दूर तक कोई संभावना नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित होना एवं साबिक में बशीर पुत्र नजीर मुसलमान निवासी हिण्डौन की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होना स्वीकार है, किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उक्त मद में यह कथन बिल्कुल गलत है कि सायलान के बुजुर्गान किशन व उसके भाई गुटेरी ने उक्त आराजी को दिनांक 30.05.1960 को बमुबलिग 2000/– रुपये में बशीर पुत्र नजीर से जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय कर लिया हो तथा यह कथन भी गलत है कि इस संबंध में एक बयनामा सचिदानंद पण्डा डीडराईटर से क्रेतागण के हक में तहरीर व तकमील करवाकर उसको सब–रजिस्ट्रार हिण्डौन में पंजीकृत करवाकर विक्रीत आराजी पर क्रेतागण का कब्जा करा दिया हो और तभी से सायलान के बुजुर्गान व अन्य क्रेतागण उक्त खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हों। उक्त आराजी पर बशीर का ही कब्जा रहा था, बशीर पुत्र नजीर ने विवादित आराजीयात को सायलान के बुजुर्गान किशन व उसके भाई गुटेरी को कभी विक्रय नहीं किया। यदि खातेदार बशीर उक्त आराजी को किशन व गुटेरी के हक में बयनामा तहरीर तकमील करवा देता तो क्रेतागण किशन व गुटेरी अवश्य ही उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाते और क्रयशुदा भूमि पर कब्जा करते। इससे स्पष्ट है कि किशन व गुटेरी द्वारा विवादित आराजीयात को क्रय करने वाली बात बिल्कुल गलत है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 3 में वर्णित आराजी साबिक खसरा नं0 656 रकबा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 1183 रकबा 06 ऐयर, खसरा नं. 1188 रकबा 04 ऐयर व खसरा नं. 1183/9797 रकबा 03 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकबा 13 ऐयर कस्बा हिण्डौन कायम किया जाना स्वीकार है जो बशीर की खातेदारी में रही है, किन्तु उक्त मद में यह कथन गलत लिखा है कि दिनांक 30.05.60 को उक्त आराजी को किशन व गुटेरी को विक्रय कर दिया हो और भूमि पर कब्जा करवा दिया हो। उक्त आराजी पर बशीर का ही कब्जा रहा था और बशीर ने सन् 1962 में जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र गैरसायल सं. 1 लगायत 6 के बुजुर्गान गुलमोहम्मद पुत्र इस्माइल खां मुसलमान निवासी हिण्डौन सिटी के नाम दान कर दी थी और योम दानपत्र उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल तक गैरसायल सं. 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद का ही कब्जा रहा था और गुलमोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात गैरसायल सं. 1 लगायत 6 का कब्जा रहा है जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजी में से खसरा नं. 1183/9797 के खातेदारान ने उक्त भूमि रकबा 0.03 हैक्टेयर दिनांक 26.03.2025 को गैरसायल सं. 7 विष्णु कुमार पुत्र मंगती को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड विक्रय कर दिया और उक्त आराजी पर गैरसायल नं. 7 क्रेता विष्णु कुमार को कब्जा मौके पर करवा दिया है और वर्तमान में खसरा नं. 1183/9797 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर गैरसायल सं. 7 का विधिपूर्ण कब्जा है। शेष विवरण उज्जात मजीद में दर्ज है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। साबिक खातेदार बशीर ने हाल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नं. 1183/9797 गुटेरी आदि को कभी भी विक्रय नहीं किया और जब विक्रय ही नहीं किया तो क्रेतागण का भूमि पर कब्जा कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि बशीर ने उक्त भूमि को गुलमोहम्मद को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र सन् 1962 में अंतरित कर दिया था। विवादित आराजीयात पर सायलान के बुजुर्गान का कोई कब्जा कभी भी नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। उक्त मद में यह कथन भी गलत लिखा है कि बशीर अपने जीवनकाल में पाकिस्तान चला गया है, बल्कि बशीर का स्वर्गवास गंगापुर सिटी में हुआ था।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है, अस्वीकार है। यह कथन कि सायलान के बुजुर्ग किशन व गुटेरी कानून में नहीं समझते थे, बल्कि सही बात यह है कि यदि विधिवत रूप से सन् 1960 में बयनामा पंजीकृत करवाया गया होता तो कथित क्रेता किशन व गुटेरी अपने हक में नामान्तकरण जरूर खुलवाते तथा आराजी पर कब्जा भी रखते। आज दिनांक तक कथित क्रेतागण ने ना तो भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाया और ना ही भूमि पर उनका कब्जा रहा है। उक्त मद में यह बात भी गलत लिखी हुई है कि गैरसायल नं. 1 व 6 का मरहूम बशीर का वारिस बताते हुए अपने हक में नामान्तकरण खुलवाकर खातेदारी दर्ज करवा ली हो, जबकि सही बात यह है कि गैरसायल सं. 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद के हक में साबिक खातेदार बशीर पुत्र नजीर ने सन् 1962 में जरिये पंजीकृत गिफ्टडीड उक्त विवादित व अन्य सम्पत्ति को अंतरित कर दिया था और योम दानपत्रए अपने जीवनकाल तक गुलमोहम्मद का ही कब्जा रहा और गुलमोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात गैरसायल सं. 1 लगायत 6 ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए नामान्तकरण खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवायी जिसके नल एण्ड वोईड होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। साबिक खातेदार बशीर पढ़ा.लिखा आदमी था जो यदि विवादित आराजी को सन् 1960 में विक्रीत कर देता तो सन् 1962 में उक्त भूमि को ही जरिये दानपत्र गैरसायल संण् 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद के नाम अन्तरित नहीं करता। शेष विवरण उजात मजीद में दर्ज है। यह कि प्रार्थनापत्र के मद नंण् 6 में वर्णित नागान्तकरण नंबरी 7831 की अपील एडीएम साहब करौली के न्यायालय में पेश करना स्वीकार हैए किन्तु उक्त अपील सारहीन व मिथ्या आधारों पर पेश की गई है। भूमि खसरा नंण् 1183ध्9797 को गैरसायल व उसके परिवारजन द्वारा अर्थात उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा गैरसायल सेण् 7 को बेचान करना सही लिखा है। उक्त भूमि सन् 1960 में साबिक खातेदार बशीर द्वारा विक्रय नहीं की गई थी। गैरसायल संण् 7 के हक में कराया गया बयनामा विधिवत रूप से करवाया गया हैए जिसके नल एण्ड वोईड होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह कि प्रार्थनापत्र का मद नंण् 7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। उक्त मद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि देवीसिंह व संतोष कुमार गोयल को किन व्यक्तियों ने अपना मुख्त्यारखास बना रखा है और

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ना ही ऐसा मुख्त्यारखास रिकार्ड पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि सायलान ने संतोष गोयल व देवीसिंह को मुख्त्यारखास नहीं बना रखा है बल्कि उक्त व्यक्ति भूमाफिया है जो हिण्डौन सिटी में बेशकीमती भूमियों पर अपनी कुदृष्टि रखते हैं तथा येनकेन प्रकारेण उन पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। प्रार्थनापत्र खिलाफ कानून पेश किया गया है। 8ण् यह कि प्रार्थनापत्र का मद नंण् 8 गलत हैए अस्वीकार है। दिनांक 13ण् 07ण्2025 को कथित मुख्त्यारखास आराजी की देखभाल करने नहीं गया और ना ही उक्त मद में दर्ज कोई वार्तालाप गैरसायलान व मुख्त्यारखास के मध्य हुई है। उक्त मद में यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौनसा मुख्त्यारखास आराजी की देखभाल करने गया थाए जबकि सही बात यह है कि उक्त आराजी पर गैरसायल संण् 7 का ही कब्जा है और मौके पर गैरसायल संण् 7 के कुलदेवताओं का थान व चबूतरा बना हुआ है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं हैए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में नहीं है और उक्त दोनों मुख्य घटकों का सायलान के पक्ष में नहीं होने के कारण सायलान को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उजात मजीद 9ण् यह कि सायलान ने प्रार्थनापत्र में रिकॉर्डेड खातेदार हिफजुर्ररहमान जिसका कि सन् 2014 में इंतकाल हो गया हैए के वारिसान की बखूबी जानकारी होने के पश्चात भी उन्हें पक्षकार गैरसायलान नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैंए इस कारण आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन के कारण प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है व खारिज होने योग्य है। 10ण् यह कि आराजीयात खसरा नंण् 656ए 649ए 655ए 651ए 652 कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित है एवं साबिक में बशीर पुत्र नजीर मुसलमान निवासी हिण्डौन की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त आराजी पर बशीर का ही कब्जा रहा थाए बशीर पुत्र नजीर ने विवादित आराजीयात को सायलान के बुजुर्गान किशन व उसके भाई गुटेरी को कभी विक्रय नहीं किया। 11ण् यह कि साबिक खसरा नंण् 656 रकबा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नंण् 1183 रकबा 06 ऐयरए खसरा नंण् 1188 रकबा 04 ऐयर व खसरा नंण् 1183ध्9797 रकबा 03 ऐयरए कुल किता.3 कुल रकबा 13 ऐयर कस्बा. हिण्डौन कायम किए गए हैं जो बशीर की खातेदारी में रही हैए उक्त आराजी पर बशीर का ही कब्जा रहा था और बशीर ने सन् 1962 में जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र गैरसायल संण् 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद पुत्र इस्माइल खां मुसलमान निवासी हिण्डौन सिटी के नाम दान कर दी थी और योम दानपत्र उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल तक गैरसायल संण् 1 लगायत 6 बुजुर्गान गुलमोहम्मद का ही कब्जा रहा था और गुलमोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात गैरसायल संण् 1 लगायत 6 का कब्जा रहा है जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजी में से खसरा नंण् 1183ध्9797 के खातेदारान ने उक्त भूमि रकबा 0ण्03 हैक्टेयर दिनांक 26ण्03ण्2025 को गैरसायल संण् 7 विष्णु कुमार पुत्र मंगती को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड विक्रय कर दिया और उक्त आराजी पर गैरसायल नंण् 7 क्रेता विष्णु कुमार को कब्जा मौके पर करवा दिया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है और वर्तमान में खसरा नंण् 1183ध्9797 रकबा 0ण्03 हैक्टेयर भूमि पर गैरसायल सं 7 का विधिपूर्ण कब्जा है। 12ण् यह कि गैरसायल संण् 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद के हक में साबिक खातेदार बशीर पुत्र नजीर ने सन् 1962 में जरिये पंजीकृत गिफ्टडीड उक्त विवादित व अन्य सम्पत्ति को अंतरित कर दिया था और योम दानपत्रए अपने जीवनकाल तक गुलमोहम्मद का ही कब्जा रहा और गुलमोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात गैरसायल संण् 1 लगायत 6 ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए नामान्तकरण खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवायी जिसके नल एण्ड वोईड होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। साबिक खातेदार बशीर पढ़ा.लिखा आदमी था जो यदि विवादित आराजी को सन् 1960 में विक्रीत कर देता तो सन् 1962 में उक्त भूमि को ही जरिये दानपत्र गैरसायल संण् 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद के नाम अन्तरित नहीं करता। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें। दिनांक 07ण्08ण्2025 ढ़ा–लिखा आदमी था जो यदि विवादित आराजी को सन् 1960 में विक्रीत कर देता तो सन् 1962 में उक्त भूमि को ही जरिये दानपत्र गैरसायल नं. 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद के नाम अन्तरित नहीं करता। शेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 6 में वर्णित नामान्तकरण नंबरी 7831 की अपील एडीएम साहब करौली के न्यायालय में पेश करना स्वीकार है, किन्तु उक्त अपील सारहीन व मिथ्या आधारों पर पेश की गई है। भूमि खसरा नं. 1183/9797 को गैरसायल व उसके परिवारजन द्वारा अर्थात उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा गैरसायल से. 7 को बेचान करना सही लिखा है। उक्त भूमि सन् 1960 में साबिक खातेदार बशीर द्वारा विक्रय नहीं की गई थी। गैरसायल सं. 7 के हक में कराया गया बयनामा विधिवत रूप से करवाया गया है, जिसके नल एण्ड वोईड होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। उक्त मद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि देवीसिंह व संतोष कुमार गोयल को किन व्यक्तियों ने अपना मुख्त्यारखास बना रखा है और ना ही ऐसा मुख्त्यारखास रिकार्ड पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि सायलान ने संतोष गोयल व देवीसिंह को मुख्त्यारखास नहीं बना रखा है बल्कि उक्त व्यक्ति भूमाफिया है जो हिण्डौन सिटी में बेशकीमती भूमियों पर अपनी कुदृष्टि रखते हैं तथा येनकेन प्रकारेण उन पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। प्रार्थनापत्र खिलाफ कानून पेश किया गया है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं0 8 गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 13.07.2025 को कथित मुख्त्यारखास आराजी की देखभाल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

करने नहीं गया और ना ही उक्त मद में दर्ज कोई वार्तालाप गैरसायलान व मुख्त्यारखास के मध्य हुई है। उक्त मद में यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौनसा मुख्त्यारखास आराजी की देखभाल करने गया था, जबकि सही बात यह है कि उक्त आराजी पर गैरसायल सं. 7 का ही कब्जा है और मौके पर गैरसायल सं. 7 के कुलदेवताओं का थान व चबूतरा बना हुआ है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है, सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में नहीं है और उक्त दोनों मुख्य घटकों का सायलान के पक्ष में नहीं होने के कारण सायलान को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

उज्रात मजीद

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि सायलान ने प्रार्थनापत्र में रिकॉर्डेड खातेदार हिफजुर्ररहमान जिसका कि सन् 2014 में इंतकाल हो गया है, के वारिसान की बखूबी जानकारी होने के पश्चात भी उन्हें पक्षकार गैरसायलान नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं, इस कारण आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन के कारण प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है व खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नं. 656, 649, 655, 651, 652 कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित है एवं साबिक में बशीर पुत्र नजीर मुसलमान निवासी हिण्डौन की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त आराजी पर बशीर का ही कब्जा रहा था, बशीर पुत्र नजीर ने विवादित आराजीयात को सायलान के बुजुर्गान किशन व उसके भाई गुटेरी को कभी विक्रय नहीं किया।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नं. 656 रकबा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 1183 रकबा 06 ऐयर, खसरा नं. 1188 रकबा 04 ऐयर व खसरा नं. 1183/9797 रकबा 03 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकबा 13 ऐयर कस्बा हिण्डौन कायम किए गए हैं जो बशीर की खातेदारी में रही है, उक्त आराजी पर बशीर का ही कब्जा रहा था और बशीर ने सन् 1962 में जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र गैरसायल सं. 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद पुत्र इस्माइल खां मुसलमान निवासी हिण्डौन सिटी के नाम दान कर दी थी और योम दानपत्र उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल तक गैरसायल सं. 1 लगायत 6 बुजुर्गान गुलमोहम्मद का ही कब्जा रहा था और गुलमोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात गैरसायल सं. 1 लगायत 6 का कब्जा रहा है जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजी में से खसरा नं. 1183/9797 के खातेदारान ने उक्त भूमि रकबा 0.03 हैक्टेयर दिनांक 26.03.2025 को गैरसायल सं. 7 विष्णु कुमार पुत्र मंगती को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड विक्रय कर दिया और उक्त आराजी पर गैरसायल नं. 7 क्रेता विष्णु कुमार को कब्जा मौके पर करवा दिया है और वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नं. 1183/9797 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर गैरसायल सं 7 का विधिपूर्ण कब्जा है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद के हक में साबिक खातेदार बशीर पुत्र नजीर ने सन् 1962 में जरिये पंजीकृत गिफ्टडीड उक्त विवादित व अन्य सम्पत्ति को अंतरित कर दिया था और योम दानपत्र, अपने जीवनकाल तक गुलमोहम्मद का ही कब्जा रहा और गुलमोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात गैरसायल सं. 1 लगायत 6 ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए नामान्तकरण खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवायी जिसके नल एण्ड वोईड होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। साबिक खातेदार बशीर पढ़ा लिखा आदमी था जो यदि विवादित आराजी को सन् 1960 में विक्रीत कर देता तो सन् 1962 में उक्त भूमि को ही जरिये दानपत्र गैरसायल सं. 1 लगायत 6 के पिता गुलमोहम्मद के नाम अन्तरित नहीं करता।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 30.05.1960 उनवानी वशीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन– विकेता प्रथमपक्ष बहक गुटेरी पुत्र रजोल, किलान पुत्र रामरतन, भूरसिंह पुत्र कन्हीराम, लट्टी पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी हिण्डौन बहिस्सा बराबर– केतागण द्वितीयपक्ष, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2051–54, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा खास दिनांक 15.09.2023 उनवानी मथुरालाल गोविन्द रामसिंह, गुलाबसिंह, डालचन्द तुलसा, प्रेमवती रामादेवी जातियान धाकड निवासी हिण्डौन बहक देवीसिंह धाकड पुत्र श्री मेघाराम जाति धाकड निवासी सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी स0 2071–74 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2025 उनवानी इरफान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी राजीव कोलोनी, विलाल मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, उस्मान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी अनसारी मोहल्ला बरकत कोलोनी, काजीजी बाग, आलनपुर सवाईमाधोपुर, गुड्डी पुत्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने थाने के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन, मेरियन पुत्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी मुसाफिर खाने के पास गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, लुकमान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी गंगापुर शहर राजीव कोलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, सुलतान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन हालवासी राजीव कोलोनी, मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी,– विकेतागण बहक विष्णु कुमार शर्मा पुत्र मंगतीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पुलिस थाने के पास, नाई मण्डी हिण्डौन तहसील हिण्डौन – केता द्वितीय पक्ष, फोटो प्रति रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 20.12.1962 उनवानी वशीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन– दानकर्ता प्रथमपक्ष बहक गुलमोहम्मद पुत्र इस्माईल खॉ जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन– दान ग्रहिता द्वितीयपक्ष, फोटो प्रति 500/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्आम्पर पर लिखा गया इकरारनामा बाबत् विकय पत्र दिनांक 22.02.2025 उनवानी इरफान उस्मान लुकमान, सुल्तान, सुलेमान पिसरान गुलमोहम्मद, गुड्डी, मेरियन पुत्रीयान गुलमोहम्मद, फजल पुत्र हिफजुर्रहमान, सुलेमान पुत्र बुन्दू खॉ – प्रथम पक्ष बहक विष्णु कुमार शर्मा पुत्र मंगतीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कुम्हार पाडा महल मटिया के पास हिण्डौन जिला करौली– द्वितीय पक्ष, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र वशीर खॉ पुत्र नजीर मृत्यु दिनांक 14.02.2025, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 30.05.1960 उनवानी वशीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन– विकेता प्रथमपक्ष बहक गुटेरी पुत्र रजोल, किलान पुत्र रामरतन, भूरसिंह पुत्र कन्हीराम, लट्टी पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी हिण्डौन बहिस्सा बराबर– केतागण द्वितीयपक्ष के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 649, 655, 656, 659, 651, 652 वाके कस्बा हिण्डौन का बेचान केतागण के हक में बहिस्सा बराबर किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2051–54 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी वशीर पुत्र नशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 11 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन से कायम किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा खास दिनांक 15.09.2023 उनवानी मथुरालाल गोविन्द रामसिंह, गुलाबसिंह, डालचन्द तुलसा, प्रेमवती रामादेवी जातियान धाकड निवासी हिण्डौन बहक देवीसिंह धाकड पुत्र श्री मेघाराम जाति धाकड निवासी सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर के अनुसार सभी सरकारी व गैरसरकारी अदालतों में कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करने के अधिकार दिये गये हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी स0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं0 1 ता 7 गुड्डी पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद हि0 1/54, नगमा पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद हि0 1/54, नजमा बानो पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद हि0 1/54, जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातेदार, विष्णु कुमार शर्मा पुत्र मंगतीलाल शर्मा हि0 7/9 जाति ब्राहम्ण निवासी पुलिस थाने के पास नई मण्डी हिण्डौन हि0 7/9, सलमा पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद हि0 1/54, सलीम खान पुत्र माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद हि0 1/54, सवाना पुत्री माता जुबेदा पुत्री गुलमोहम्मद हि0 1/54, हिफजुर्रहमान पुत्र गुलमोहम्मद हि0 1/9 जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2025 उनवानी इरफान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी राजीव कोलोनी, विलाल मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, उस्मान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी अनसारी मोहल्ला बरकत कोलोनी, काजीजी बाग, आलनपुर सवाईमाधोपुर, गुड्डी पुत्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने थाने के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन, मेरियन पुत्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी मुसाफिर खाने के पास गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, लुकमान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी गंगापुर शहर राजीव कोलोनी, ट्रक यूनियन के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, सुलतान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी राजीव कोलोनी, मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी,– विक्रेतागण बहक विष्णु कुमार शर्मा पुत्र मंगतीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पुलिस थाने के पास, नाई मण्डी हिण्डौन तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में निहित विक्रेतागण के सम्पूर्ण हिस्सा 7/9 भाग की भूमि का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 20.12.1962 उनवानी वशीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन– दानकर्ता प्रथमपक्ष बहक गुलमोहम्मद पुत्र इस्माईल खॉ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन– दान ग्रहिता द्वितीयपक्ष के अनुसार दान पत्र मकान का किया गया है।

फोटो प्रति 500/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्आम्पर पर लिखा गया इकरारनामा बाबत् विकय पत्र दिनांक 22.02.2025 उनवानी इरफान उस्मान लुकमान, सुल्तान, सुलेमान पिसरान गुलमोहम्मद, गुड्डी, मेरियन पुत्रीयान गुलमोहम्मद, फजल पुत्र हिफजुर्रहमान, सुलेमान पुत्र बुन्दू खॉ – प्रथम पक्ष बहक विष्णु कुमार शर्मा पुत्र मंगतीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कुम्हार पाडा महल मटिया के पास हिण्डौन जिला करौली– द्वितीय पक्ष के हक में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र वशीर खॉ पुत्र नजीर मृत्यु दिनांक 14.02.2025 रजिस्ट्रीकरण सं0 31/2013 नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा जारी किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 वाके कस्बा हिण्डौन दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 656 रकबा 11 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन से कायम किया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 656 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 30.05.1960 उनवानी वशीर पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन– विकेता प्रथमपक्ष बहक गुटेरी पुत्र रजोल, किलान पुत्र रामरतन, भूरसिंह पुत्र कन्हीराम, लट्टी पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी हिण्डौन बहिस्सा बराबर– केतागण द्वितीयपक्ष के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 649, 655, 656, 659, 651, 652 वाके कस्बा हिण्डौन का बेचान केतागण के हक में बहिस्सा बराबर किया गया था। किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183/9797 की खातेदारी सायलान व उनके बुजुर्ग केतागण के नाम किस प्रकार नहीं हुई। इस तथ्य की पुष्टि दावे में तय होनी हैं। गैरसायलान के नाम उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी अपने नाम होने के कारण रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 26.03.2025 उनवानी इरफान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी राजीव कोलोनी, विलाल मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, उस्मान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी अनसारी मोहल्ला बरकत कोलोनी, काजीजी बाग, आलनपुर सवाईमाधोपुर, गुड्डी पुत्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने थाने के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन, मेरियन पुत्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी मुसाफिर खाने के पास गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, लुकमान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी गंगापुर शहर राजीव कोलोनी, ट्रक यूनियन के पास,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी, सुलतान पुत्र गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन हालवासी राजीव कोलोनी, मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी,– विक्रेतागण बहक विष्णु कुमार शर्मा पुत्र मंगतीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पुलिस थाने के पास, नाई मण्डी हिण्डौन तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में करा दिया गया है। जो सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि सायलान की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर उक्त भूमि पूर्व में ही सायलान के पूर्वजों के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की जा चुकी थी। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए गैरसायलान को उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183/9797 रकबा 0.03 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा सायलान को उनके कब्जे काश्त से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा कर कोई निर्माण नहीं करें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 26/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली